दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 14-06-2025

32 लाख घूस देने के आरोपी ने वापस ली जमानत अर्जी

हाई कोर्ट ने सीबीआई को दस्तावेजों का सत्यापन करने को कहा था

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

एसईसीआर के तहत आरएसडब्ल्यू में मुख्य अभियंता विशाल आनंद को उनके भाई के जरिए 32 लाख रुपए रिश्वत देने के आरोपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी ने हाई कोर्ट में लगाई गई अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली है। इसमें खुद को किडनी की गंभीर बीमारी होने की जानकारी देते हुए बताया था कि स्थिति इतनी गंभीर है। कोर्ट ने इस पर सीबीआई को मेडिकल रिकॉर्ड का सत्यापन करने को कहा था।

सीबीआई ने एसईसीआर के आरएसडब्ल्यू में मुख्य अभियंता विशाल आनंद को रिश्वत देने के मामले में कार्रवाई की थी। अफसर के भाई कुणाल आनंद को रांची में जाकर बिलासपुर जगमल चौक स्थित झाझरिया कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी मनोज पाठक से 31 लाख 93 हजार 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। आरोप है कि यह रकम उसके भाई विशाल आनंद की ओर से ली जा रही थी। इस मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज कर विशाल आनंद, उसके भाई कुणाल आनंद, झाझरिया कंस्ट्रक्शन के एमडी सुशील झाझरिया और रिश्वत दे रहे कंपनी के कर्मचारी मनोज पाठक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

कंपनी के एमडी अभी सेंट्रल जेल में बंद

सीबीआई ने झाझरिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के एमडी सुशील झाझरिया को भी गिरफ्तार किया था। उसने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। बताया कि वह गंभीर किडनी रोग से पीड़ित है। उसकी हालत इतनी नाजुक है कि किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उसने कई चिकित्सा दस्तावेज भी पेश किए। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की अर्जी मंजूर करते हुए केस डायरी मंगवाई। हाई कोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता बी गोपा कुमार को निर्देश दिया कि इन दस्तावेजों जांच की जाए। साथ ही जेल अस्पताल या किसी अन्य अस्पताल में चल रहे इलाज की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरोपी ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली।